केंद्र ने गन्ना किसानों की बढ़ाई मिठास

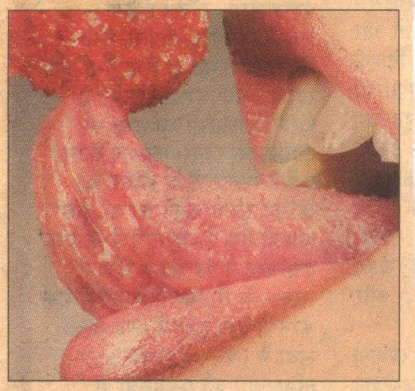

[ईटी ब्यूरो, *नई दिल्ली*]

सरकार ने मिलों के लिए गन्ने की कीमत 23.6 फीसदी बढ़ाकर 210 रुपए क्विंटल कर दी है। अक्टूबर 2013 से मिलों को किसानों को गन्ने के लिए कम से कम यह कीमत देनी होगी।

गन्ना किसानों को लीगली 210 रुपए क्विंटल की कीमत हासिल करने का हक होगा। 2012-13 मार्केटिंग सीजन में एफआरपी यानी यह कीमत 170 रुपए क्विंटल थी। फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने कहा, 'हमने कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेज (सीएसीपी) की सिफारिशें मान ली हैं। अब गन्ना किसान खेती की बढ़ी हुई कीमत वसूल कर पाएंगे।' गन्ना खरीदने के लिए एफआरपी को बेंचमार्क माना जाता है। इसी से यह भी तय होता है कि सरकार मिलों से सरकारी राशन शॉप्स के लिए किस कीमत पर चीनी खरीदती है।

इस साल अक्टूबर से गन्ना किसानों को कानूनी तौर पर 210 रुपए क्विंटल की कीमत हासिल करने का हक होगा

किसान संगठन किसान जागृति मंच के प्रेसिडेंट सुधीर पंवार ने इस बारे में कहा, 'लगभग सभी राज्यों ने गन्ने के लिए स्टेट एडमिनिस्टर्ड प्राइस (एसएपी) घोषित किया हुआ है। यह नए एफआरपी से ज्यादा है। इसके बावजूद एफआरपी में अच्छी बढ़ोतरी करके सरकार ने संकेत दिया है कि वह किसानों की खेती की बढ़ी हुई लागत की तकलीफ को समझ रही है।' कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) ने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डीटीए) से स्पेशल इकनॉमिक जोन के फूड प्रोडक्ट्स मेकर्स को एडिबल ऑयल के लिमिटेड एक्सपोर्ट की भी इजाजत दे दी है। पांच किलो तक के कंज्यूमर कैप से सरकार ने ऑयल एक्सपोर्ट से 20,000 टन की पाबंदी भी खत्म कर दी है। उसने इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (एमईपी) 1500 डॉलर प्रति टन तय किया है।

इस मीटिंग में शामिल हुए एक मिनिस्टर ने बताया, 'समय-समय पर एमईपी पर विचार करने के लिए एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई जाएगी।' सीसीईए ने कोकोनट ऑयल के एक्सपोर्ट की भी मंजूरी दे दी है। अभी सिर्फ कोच्चि पोर्ट से इसकी इजाजत है।

इकनोमिक टाइम्स
1/2/13